

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 12/2014/नागौर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, झुन्झुनूं.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जाजू एजेन्सीज, मेड़ता सिटी, नागौर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री के. जी. खत्री, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11/03/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 98/12-13/वैट/नागौर में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.6.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, झुन्झुनूं (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 17.6.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 12.06.2012 को वाहन संख्या आर.जे.14/2722 को ग्राम झड़ाया (झुन्झुनूं) में चैक किये जाने पर वाहन में 'परचून माल' देहली से कुचामन सिटी, मेड़ता सिटी, रींगस व डीडवाना के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल (12480 पैकेट गुटखा) से सम्बन्धित मैसर्स राज प्रोडक्ट्स देहली का रिटेल इन्वॉयस संख्या 12/293 दिनांक 9.6.2012; देहली कुचामन सिटी सीकर ट्रांसपोर्ट कम्पनी दिल्ली का चालान संख्या 767 दिनांक 11.6.2012, बिल्टी संख्या 1930 दिनांक 9.6.2012 एवं घोषणा-पत्र वैट-47 संख्या 3842088 प्रस्तुत किये गये।



लगातार.....2

3. उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि घोषणा प्रपत्र वैट-47 अवधिपार प्रस्तुत किया गया है तथा घोषणा पत्र के पार्ट-‘ए’ में प्रेषक के टिन नं0, संव्यवहार की प्रकृति भरे हुए नहीं पाये गये तथा घोषणा-पत्र का पार्ट-‘सी’ पूर्णतया रिक्त पाया गया। दस्तावेजों में प्रत्येक पाउच का वजन 1.2 ग्राम अंकित पाया गया, जबकि भौतिक सत्यापन किये जाने पर गुटखा पाउच में 1.6 ग्राम अंकित पाया गया, वजन कराये जाने पर भी 1.6 ग्राम ही पाया गया। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत इन्वॉयस व गुड्स मूवमेंट रिपोर्ट में वाहन संख्या डी.एल.-1एल-आर-5374 अंकित होने तथा माल का परिवहन वाहन संख्या आर.जे. 14/2722 में किया जाना पाया गया। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए वाहन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत जवाब के साथ नया घोषणा-पत्र वैट-47 संख्या 4290026 प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा-पत्र को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि प्रकरण में चैकिंग दिनांक 12.6.2012 को की गई है, जबकि वाद में प्रस्तुत घोषणा-पत्र वैट 47 संख्या 4290026 वाणिज्यिक कर विभाग से दिनांक 14.6.2012 को जारी करवाया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अनियमितताओं के आधार पर प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,63,396/- एवं वैट रूपये 2,72,327/- कुल रूपये 4,35,723/- का आरोपण आदेश दिनांक 17.6.2012 से किया गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.2013 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

4. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा अधिसूचित माल का राज्य में कालातीत एवं अपूर्ण घोषणा प्रपत्र वैट-47 के समर्थन से आयात कर परिवहनित किया जाना वैट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं वेट आरोपित किया जाना पूर्णतया उचित एवं विधिक था। उक्त कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज का हवाला दिया गया।

हस्ताक्षर


5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों में वाहन की संख्या डी.एल.-1एल-आर-5374 अंकित पायी गयी, जबकि माल का परिवहन वाहन संख्या आर.जे.14/2722 में किया जा रहा था। इसी प्रकार दस्तावेजों में माल का वजन प्रत्येक पाउच 1.2 ग्राम अंकित पाया गया, जबकि भौतिक सत्यापन पर माल का वजन प्रत्येक पाउच 1.6 ग्राम पाया गया। इस प्रकार माल का परिवहन मिथ्या दस्तावेजों से किया जाना प्रमाणित होता है।

6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि जवाब के साथ प्रस्तुत घोषणा-पत्र विभाग से दिनांक 14.6.2012 को जारी हुआ है, जबकि वाहन की चैकिंग दिनांक 12.6.2012 को की गयी है, माल के दस्तावेज दिनांक 9.6.2012 को बनाये गये हैं, ऐसी स्थिति में जवाब के साथ प्रस्तुत घोषणा-पत्र वैट-47 को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी. पी. मैटल्स का हवाला दिया।

7. उक्त तर्कों के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील रवीकार करते हुए, अपीलीय आदेश अपारत किये जाने का अनुरोध किया।

8. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच वैट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के तहत वांछित सभी दस्तावेज जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। घोषणा पत्र कालातीत होने की जानकारी प्रत्यर्थी को नहीं होने से उनके द्वारा सद्भाविक रूप से घोषणा पत्र प्रेषक व्यवहारी को भिजवा दिया गया था एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र में टिन नं० व संव्यवहार की प्रकृति अंकित नहीं किया जाना केवलमात्र एक तकनीकी त्रुटि है, जिसमें उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कालातीत घोषणा-पत्र की त्रुटि संशोधनीय है, अतः इस आधार पर प्रथम दृष्टया शास्ति का आरोपण विधिविरुद्ध है।

9. विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि इन्चॉयस एवं गुड्स मूवमेंट रिपोर्ट में उस वाहन की संख्या अंकित की गयी है, जिसके द्वारा माल को प्रेषक व्यवहारी के गोदाम से ट्रांसपोर्ट कम्पनी तक पहुंचाया गया है, इसमें भी प्रत्यर्थी व्यवहारी की कोई करापवंचन की मंशा नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में नया



पूर्णतया भरा हुआ घोषणा-पत्र वेट-47 प्रस्तुत कर दिये जाने से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 की पालना हो जाती है, ऐसी स्थिति में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त की अवहेलना की गयी है।


10. उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

11. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

12. प्रकरण में सशक्त अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि घोषणा-पत्र वेट-47 संख्या 3842088 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, मेड़तासिटी, नागौर के कार्यालय से दिनांक 23.07.2009 को जारी किया हुआ होने से इसकी वैधता जारी किये जाने की दिनांक से दो वर्ष अर्थात् दिनांक 22.7.2011 तक थी। इसके पश्चात प्रत्यर्थी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्र की वैधता अवधि नहीं बढ़ाये जाने से वक्त जांच उक्त घोषणा प्रपत्र वेट-47 लगभग 11 माह कालातीत हो चुका था, परन्तु वेट नियम 21(5) के प्रावधानों के तहत उक्त घोषणा प्रपत्र वेट-47 की वैधता अवधि जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा उक्तानुसार वैधता अवधि में बढ़ोतरी किये जाने की स्थिति में इस घोषणा प्रपत्र वेट-47 की वैधता अवधि दिनांक 22.7.2012 तक मानी जा सकती है। अतः सक्षम अधिकारी का यह आधार न्यायोचित प्रतीत नहीं होता कि घोषणा पत्र वेट-47 कालातीत प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विभाग से नया घोषणा-पत्र वेट-47 जारी करवाकर भी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया।

13. इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2000) 120 एस.टी.सी. 212 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर बनाम महावीर चन्द जैन एण्ड कम्पनी में निर्णीत किया है कि :-

"There is no dispute that on the expiry of date the form does not become non-est but very same form can be validated and given life for a further period by the concern officer."



14. इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त 17 टैक्स अपडेट 150 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, उदयपुर बनाम मैसर्स एलास्टोमेक इण्डिया प्रा० लि० उदयपुर एवं 35 टैक्स अपडेट 316 मैसर्स जे.पी.फूड्स, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन उदयपुर में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है कि घोषणा-पत्र वैट-47 की वैधता जारी किये जाने की दिनांक से तीन वर्ष तक मानी जा सकती है।


15. जहां तक घोषणा-पत्र वैट-47 अपूर्ण प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है घोषणा-पत्र के महत्वपूर्ण कॉलम भरे हुए थे, जिनमें प्रेषक/प्रेषिति व्यवहारी एवं माल का पूर्ण विवरण अंकित है। संव्यवहार की प्रकृति का अंकन नहीं होना एक तकनीकी त्रुटि ही माना जा सकता है। घोषणा-पत्र का पार्ट-'सी' अपूर्ण रहना भी तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में ही माना जायेगा, जिसमें किसी प्रकार के करापवंचन की मंशा प्रतीत नहीं होती है।

16. वक्त जांच प्रस्तुत वैट इन्वॉयस एवं गुड्स मूवमेंट रिपोर्ट में वाहन संख्या डी.एल.-1एल/आर-5374 अंकित होने का युक्तियुक्त कारण व्यवहारी द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत कर दिया गया था कि यह उस वाहन का नम्बर है, जिसके द्वारा माल प्रेषक व्यवहारी के गोदाम से ट्रांसपोर्ट कम्पनी तक पहुंचाया गया है। इसी प्रकार दस्तावेजों में माल का वजन 1.2 ग्राम अंकित होना तथा भौतिक सत्यापन में 1.6 ग्राम पाया जाना भी ऐसा आधार नहीं है, जिसके आधार पर वैट व शास्ति का आरोपण किया जा सके।

17. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वैट अधिनियम की धारा 76(2) सपटित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए वैट एवं शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

18. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

19. निर्णय सुनाया गया।


11.03.2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य